



छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर

"छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970

(अनुकूलन आदेश 2001) के अधीन गठित"

[स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन एक सांविधिक निकाय]

रजिस्ट्रार कार्यालय - शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर

492010 (छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165, 09425213277 (मोबाईल)

वेबसाईट - www.cgaupcb.in ई-मेल - registrar@cgaupcb.in

क्रमांक - 01/सूचना/2020/22

रायपुर, दिनांक - 16/01/2020

सूचना

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर में पंजीकृत आयुर्वेदिक, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायियों को बोर्ड द्वारा परिचय पत्र (आई कार्ड) जारी किया जाना है, तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे कार्यालयीन समय में शुल्क राशि रु. 100/- (एक सौ रुपये मात्र) एवं एक पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

(बोर्ड द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. संजय शुक्ला)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा
पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर



छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड ,रायपुर

"छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक,यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम,1970

(अनुकूलन आदेश 2001) के अधीन गठित"

[स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,छत्तीसगढ़ शासन के अधीन एक सांविधिक निकाय]
रजिस्ट्रार कार्यालय – शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय भवन,रायपुर
492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फ़ैक्स 0771 – 2263165, 09425213277 (मोबाईल)
वेबसाईट – www.cgaupcb.in ई-मेल – registrar@cgaupcb.in

पंजीयन बोर्ड द्वारा परिचय – पत्र की जानकारी के संबंध में

नाम : –

पिता/पति का नाम : –

जन्म तिथि : –


शैक्षणिक योग्यता : –

पंजीयन क्रमांक : –

आधार नम्बर : –

स्थायी पता : –

मेल आई.डी : –



चिकित्सा व्यवसायी का हस्ताक्षर